प्रकरण संख्या 4/2016 लक्ष्मी बनाम हकरू के बजाय किशनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 05.07.2006 को ग्राम चिडियावासा की आराजी नंबर 878 रकबा 7 बिस्वा व 904/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन किया गया, जबकि विपक्षी संख्या 1 व उसके भाई वेला को ग्राम बेडवा, तहसील गढ़ी की आराजी नंबर 464/1 रकबा 4 बीघा व 463/7 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन उन्हें विस्थापित होने के आधार पर किया जा चुका है। विपक्षी ने आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया है एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जबकि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति की सदस्य होकर ग्राम चिडियावासा की आराजी नंबर 877 व 876 की खातेदार है तथा आराजी नंबर 878 पर उसका 23 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, जो आराजी नंबर 877 से मिली हुई है। आराजी नंबर 904/1 कृषि योग्य भूमि नहीं है व पी.एच.सी. भवन बना हुआ है। आवंटन पूर्व विपक्षी का कब्जा नहीं था तथा आवंटन की प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है अतः विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत करने हुए दिनांक 05.07.2006 को ग्राम चिडियावासा की आराजी नंबर 878 रकबा 7 बिस्वा व 904/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के आवंटन को सही बताया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08.10.2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील 3 दिन विलम्ब से प्रस्तुत के कारणों का उल्लेख करते हुए अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया, जो न्यायहित में	

स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आराजी नंबर 878 अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी नंबर 877 से लगती हुई होकर मौके पर एक चक में है, जिस पर अपीलान्ट काबिज है तथा आराजी नंबर 904/1 पर प्राईमरी हेल्थ सेन्टर स्थापित होकर उस पर चारदीवारी बनी हुई है, जो आवंटन योग्य नहीं है। विपक्षी कभी कृषक नहीं रहा है, बल्कि वह ठेकेदार होकर उसके पास जे.सी.बी. मशीनें, डम्पर, टैक्टर व कार हैं एवं उसका लम्बा–चौड़ा व्यवसाय है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व दिनांक 05.07.2006 के आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट द्वारा अपने विस्तृत अपील मीमों में उठाये गये तथ्यों पर गौर किया तो यह पाया कि मौके पर किस पक्षकार का कब्जा है इस बाबत कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटित भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर उनका आवेदन खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी के पक्ष में पूर्व में हुए आवंटन एवं मौके पर किस पक्षकार का कब्जा है इसकी जांच करवाकर तथा उभयपक्षों को पुनः सुनकर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: